

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्काूल डिड्डी ब्लॉक आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 649 दिनांक 30/7/2020

प्रार्थीया श्रीमती बेबी सोनी जी ओम् प्रकाश सोनी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No = 18/318 चौपालकी
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय डाउमिंग बोर्ड
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7676/- जमा
 जरिये रसीद संख्या 9869/9800, 9801
 दिनांक 30/7/2020 को जमा करा दी है ।

31/7/2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

बेबी सोनी

8947851249

जी + /
 आवासीय